

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 61/2018 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2018/00156
दायर दिनांक :- 25.04.2018 निर्णय दिनांक :- 23.10.2024

1. गंगादेवी पत्नी बालकिशन जाति विश्नोई निवासी विश्नोईयों की ढाणी पांचला सिद्धा नागौर वादी.....

बनाम

1. जगदीश पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. जमना पत्नी सहीराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. सपूदेवी पत्नी हीराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. किशनाराम पुत्र पोकरराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिा फलोदी
5. कमलादेवी पत्नी भजनाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. महीराम पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई भारेवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमैर
7. राजाराम पुत्र दलीचंद जाति विश्नोई निवासी जुड तहसील बावडी जिला जोधपुर
8. एलची पत्नी बाबूराम पिता रामूराम जाति विश्नोई निवासी जुड तहसील बावडी जिला जोधपुर
9. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादीगण

2 श्री राजेन्द्रसिंह सॉलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की और से

--: निर्णय :-

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम नारायणनगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1259 रकबा 176-05 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज है इसी अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की और से कोई उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर ग्राम नारायणनगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1259 रकबा 176-05 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से



स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम नारायणनगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1259 रकबा 23.0994 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	गंगादेवी पत्नी बालकिशन जाति विश्‍नोई निवासी विश्‍नोईयों की ढाणी पांचला सिद्धा तह. खीवर जिला नागौर खातेदार	नारायणनगर	1259	4.0468 हैक्टेयर	बा-4
2	सपूदेवी पत्नी हीराराम 82/163, सहीराम पुत्र हीराराम 81/163 जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	नारायणनगर	1259	1.3193 हैक्टेयर	बा-4
3	कमलादेवी पत्नी भजनाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	नारायणनगर	1259	0.8094 हैक्टेयर	बा-4
4	जमना पत्नी सहीराम जाति विश्‍नोई सा.देह खातेदार	नारायणनगर	1259	5.5037 हैक्टेयर	बा-4
5	जगदीश पुत्र भीखाराम जाति विश्‍नोई सा.देह खातेदार	नारायणनगर	1259	3.9416 हैक्टेयर	बा-4
6	एलची पत्नी बाबूराम 500/924 जाति विश्‍नोई सा. जुड तह. औसिया, किशनाराम पुत्र पोकरराम 100/924 जाति विश्‍नोई सा. कानसार, महीराम पुत्र बंशीराम 162/924 जाति विश्‍नोई सा. भारेवाला, सोमराज पुत्र बंशीराम 162/924 जाति विश्‍नोई सा. करनेवाल जिला जैसलमेर खातेदार	नारायणनगर	1259	7.4786 हैक्टेयर	बा-4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर खातेदारों के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



23-10-24
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम-डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

1. गंगादेवी पत्नी बालकिशन जाति विश्‍नोई निवासी विश्‍नोईयों की ढाणी पांचला सिद्धा नागौर वादी.....

बनाम

- जगदीश पुत्र भीखाराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
- जमना पत्नी सहीराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
- सपूदेवी पत्नी हीराराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
- किशनाराम पुत्र पोकरराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिा फलोदी
- कमलादेवी पत्नी भजनाराम जाति विश्‍नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
- महीराम पुत्र बंशीलाल जाति विश्‍नोई भारेवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमैर
- राजाराम पुत्र दलीचंद जाति विश्‍नोई निवासी जुड तहसील बावड़ी जिला जोधपुर
- एलची पत्नी बाबूराम पिता रामूराम जाति विश्‍नोई निवासी जुड तहसील बावड़ी जिला जोधपुर
- तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :- 61/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर ओम्प्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम नारायणनगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1259 रकबा 23.0994 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	गंगादेवी पत्नी बालकिशन जाति विश्‍नोई निवासी विश्‍नोईयों की ढाणी पांचला सिद्धा तह. खीवर जिला नागौर खातेदार	नारायणनगर	1259	4.0468 हैक्टेयर	बा-4
2	सपूदेवी पत्नी हीराराम 82/163, सहीराम पुत्र हीराराम 81/163 जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	नारायणनगर	1259	1.3193 हैक्टेयर	बा-4
3	कमलादेवी पत्नी भजनाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	नारायणनगर	1259	0.8094 हैक्टेयर	बा-4
4	जमना पत्नी सहीराम जाति विश्‍नोई सा.देह खातेदार	नारायणनगर	1259	5.5037 हैक्टेयर	बा-4
5	जगदीश पुत्र भीखाराम जाति विश्‍नोई सा.देह खातेदार	नारायणनगर	1259	3.9416 हैक्टेयर	बा-4
6	एलची पत्नी बाबूराम 500/924 जाति विश्‍नोई सा. जुड़ तह. औसिया, किशनाराम पुत्र पोकरराम 100/924 जाति विश्‍नोई सा. कानासर, महीराम पुत्र बंशीराम 162/924 जाति विश्‍नोई सा. भारेवाला, सोमराज पुत्र बंशीराम 162/924 जाति विश्‍नोई सा. करनेवाल जिला जैसलमैर खातेदार	नारायणनगर	1259	7.4786 हैक्टेयर	बा-4

23-10-24

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर खातेदारों के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक

को अदा करे।

वसूल मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.10.2024 को जारी की गई।



(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुदत	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुल्फरिफ मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का बाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।